न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1050/2024

अनवान : –

1. ममता पुत्री विनोद कुमार नाबालिग उम्र 11 वर्ष जरिये सरक्षिका व माता मन्जु पत्नि विनोद कुमार जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. मोनिका पुत्री विनोद कुमार नाबालिग उम्र 9 वर्ष जरिये सरक्षिका व माता मन्जु पत्नि विनोद कुमार जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

– **वादीगण**

बनाम्

1. विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
3. पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुईया तहसील नोहर ।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
2. श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 11/06/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं. 195/182 के ख.न. 107 की 2.4530 हैक्टर भूमि, ख.न. 111 की 5.0070 हैक्टर भूमि ख.न. 157 की 4.3250 हैक्टर भूमि कुल तादादी 11.7850 हैक्टर भूमि में से 1771/11785 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त सयुक्त हिन्दू परिवार जो मिताक्षरा हिन्दू विधि से शासित है तथा उपरोक्त सयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि वादियान के पडदादा जीराम के समय की पुरानी खातेदारी भूमि है तथा उक्त भूमि पैतृक कृषि भूमि में जो हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम बतौर कर्ता सयुक्त हिन्दु खानदान दर्ज है उसमें वादियान का पैदायशी हक है तथा वादिया सं. 1 व 2 प्रतिवादी सं. 1 के साथ ब.हि.ब. की मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि वाके रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं. 195/182 की कुल तादादी 11.7850 हैक्टर भूमि में से 1771/11785 हिससा भूमि जिसका पुरा विवरण अर्जीदावा की मद सं. 3 में दर्ज है में वादीयान व प्रतिवादी सं. 1 तीनो ब.हि.ब. के मुश्तरका खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है मगर वादग्रस्त भूमि गलत बतौर कर्ता सयुक्त हिन्दु परिवार दर्ज होने से प्रतिवादी सं. 1 उक्त वादग्रस्त भूमि को फरोख्त करने की योजना बना रहा है जिससे वादियान के खातेदारी हकुक का हनन होता है तथा वादियान अपने खातेदारी हकुक की घोषणा करवाकर अपने आपको वादग्रस्त भूमि में 2/3 हिस्सा की तथा प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 हिस्सा का मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने की अधिकारी है तथा इसी अनुसार रिकार्ड जमाबन्दी दुरूस्त करवाने की वादियान अधिकारी है तथा यही बिनाय दावा है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को काफी मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये इसिलिए यह वाद पेश किया गया है।

दावा पेश होने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि प्रतिवादी स0 1 को जरिये दानपत्र दिनांक 28.04.2017 को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी स0 1 के जीवनकाल में किसी का कोई हक हिस्सा नही अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

प्रस्तुत वाद एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीआत कायम की गईः–

1. **आया कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं. 195/182 के ख.न. 107 की 2.4530 हैक्टर भूमि, ख.न. 111 की 5.0070 हैक्टर भूमि ख.न. 157 की 4.3250 हैक्टर भूमि कुल तादादी 11.7850 हैक्टर भूमि में से 1771/11785 हिस्सा भूमि वादीयान व प्रतिवादी स0 1 ता 3 बहिब खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ?**

–वादी

2. **आया कि वादी, प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है कि वाद भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल न करे एवं वाद भूमि की यथास्थिति बनाये रखे?**

–वादी

3. **आया कि वादग्रस्त भूमि के वादीगण किसी प्रकार के टिनेन्ट नही है वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 की स्वयं अर्जित भूमि है इसलिए प्रतिवादी स0 1 के जीवनकाल में वादीगण किसी प्रकार की घोषणा करवा पाने के अधिकारी नही है?**

–प्रतिवादी

4. **आया कि प्रतिवादी रिकार्डेड खातेदार है जिसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है?**

–प्रतिवादी

5. **दादरसी**

वादीगण ने तनकीआत के समर्थन में प्रमाणित प्रति रजिस्टर हकधारान नकम सम्वत 2066 कानसर ईएक्सपी–1, जमाबंदी रोही मौजा कानसर सम्वत 2071–74 खाता स0 195 ईएक्सपी–2, प्रमाणित प्रति वाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 ईएक्सपी–3, प्रमाणित प्रतिलिपी प्रार्थना पत्र ईएक्सपी–4, डिक्री अपर जिला न्यायाधीश ईएक्सपी–5, प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 ईएक्सपी–6, प्रार्थना पत्र राजीनामा ईएक्सपी–7, फर्द अहकाम अपर जिला न्यायाधीश दिनांक 26.11.2024 से 26.03.2025 तक ईएक्सपी–8 पेश किये।

प्रतिवादीगण ने तनकीआत के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य दानपत्र असल दिनांक 28.04.2017 ईक्एसडी –1 एवं चित्रप्रति दानपत्र ईएक्सडी 1ए पेश किये।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन के अवलोकन के उपरान्त तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

तनकी नम्बर 1 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी का कथन है कि उक्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। एवं प्रतिवादी स0 1 द्वारा उक्त भूमि का पवन कुमार पुत्र शिशपाल को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बेचान कर दिया था उक्त बैयनामा को निरस्त करवाने बाबत वादीगण ने माननीय अपर न्यायाधीश स0 1 नोहर के समक्ष वाद पेश किया जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का राजीनामा के आधार पर बैयनामा निरस्त किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त भूमि पुराने राजस्व रिकार्ड में जीराम के नाम दर्ज रही है एवं जीराम द्वारा दिनांक 24.04.2017 को प्रतिवादी स0 1 विनोद के पक्ष में रजिस्टर्ड दानपत्र करवाया गया है। अधिवक्ता वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की उक्त भूमि जीराम के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त भूमि जीराम की स्वयं अर्जित भूमि थी एवं जीराम द्वारा अपनी स्वयं अर्जित भूमि का प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में दानपत्र किया गया है इसलिए प्रतिवादी स0 1 की उक्त भूमि स्वयं अर्जित भूमि होना साबित होता है क्योंकि प्रतिवादी स0 1 को उक्त भूमि जरिये रजि0 दानपत्र प्राप्त हुई है एवं सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बैयनामा बाबत था। अत उपरोक्त विवेचना स्वरूप वाद भूमि पैतृक साबित नही होने के कारण वादीगण का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है एवं वादीगण घोषणा करवा पाने क अधिकारी नही है। अत तनकी न0 1 का निर्णय खिलाफ वादीगण बहक प्रतिवादी स0 1 किया जाता है।

तनकी नम्बर 2 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था यह तनकी, तनकी न0 1 पर आधारित है जिसका विस्तृत निर्णय किया जा चुका है एवं तनकी न0 1 के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित नही है इसलिए प्रतिवादी स0 1 को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। अत तनकी न0 2 का निर्णय भी खिलाफ वादीगण बहक प्रतिवादी स0 1 किया जाता है।

तनकी नम्बर 3 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। यह तनकी, तनकी न0 1 पर आधारित है जिसका विस्तृत निर्णय हो चुका है एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक प्रतिवादी स0 1 को उक्त वाद भूमि जीराम से दिनांक 24.04.2017 को जरिये दानपत्र मिली है एवं दानदाता जीराम की स्वयं अर्जित भूमि थी एवं प्रतिवादी स0 1 को जरिये दानपत्र भूमि प्राप्त हुई है इसलिए प्रतिवादी स0 1 की भूमि उक्त भूमि स्वयं अर्जित भूमि होना साबित है अत उक्त तनकी का निर्णय खिलाफ वादीगण बहक प्रतिवादी किया जाता है।

तनकी नम्बर 4 :– यह तनकी, तनकी न0 1 व 3 पर आधारित है। जिसका निर्णय हो चुका है।

दादरसी। समस्त तनकीआत का निर्णय हो चुका है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। व्यय वाद उभयपक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 11/06/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1050 / 2024

अनवान : –

1. ममता पुत्री विनोद कुमार नाबालिग उम्र 11 वर्ष जरिये सरक्षिका व माता मन्जु पत्नि विनोद कुमार जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. मोनिका पुत्री विनोद कुमार नाबालिग उम्र 9 वर्ष जरिये सरक्षिका व माता मन्जु पत्नि विनोद कुमार जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

– **वादीगण**

बनाम्

1. विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
3. पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुईया तहसील नोहर ।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1050 सन 2024 निर्णय दिनांक 11/06/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिह कड़वासरा एवं वकील प्रतिवादी श्री हवासिंह पूनियां की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर